

## राजस्थान उच्च न्यायालय

## जयपुर पीठ

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 17983/2024

- मैसर्स नलिन डेयरी, जिसका कार्यालय खसरा संख्या 708/1, बालाजी मोध, पाधली सिकरी, दौसा, राजस्थान- 303303 पर है, अपने प्रोपराइटर के माध्यम से।
- पंकज भारद्वाज पुत्र श्री सतीश भारद्वाज, निवासी 66, चेतन एन्क्लेव, फेज 1, अलवर, राजस्थान- 301001।

----याचिकाकर्ता

## बनाम

- भारत संघ, वित्त मंत्रालय के माध्यम से, जिसका कार्यालय व्यय विभाग कक्ष संख्या 76, नई दिल्ली- 110001 (भारत) पर है, अपने प्रधान सचिव के माध्यम से।
- आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड, जिसका कार्यालय तीसरी मंजिल, जी.एस. ट्रेडर्स सेंटर कार्यालय संख्या 534, 535, 536, नेमी सागर कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान- 302021 पर है, अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से।

----प्रतिवादी

|                    |   |                                               |
|--------------------|---|-----------------------------------------------|
| याचिकाकर्ता के लिए | : | श्री आकर्ष माथुर                              |
| प्रतिवादी के लिए   | : | सुश्री निधि खंडेलवाल के साथ<br>श्री अंशु कंवर |

माननीय न्यायमूर्ति श्री अवनीश झिंगन

आदेश27/11/2024

1. यह याचिका वितीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे आगे 'सरफेसी अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 13(4) के तहत जारी दिनांक 24.06.2024 के नोटिस को, तथा सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत जारी दिनांक 03.09.2024 और 17.10.2024 के नोटिसों को, और अधिनियम की धारा 13(4) के तहत शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है।
2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि 02.08.2023 को याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 2 से 3,53,50,398 रुपये की ऋण सुविधा प्राप्त की थी। याचिकाकर्ता वितीय अनुशासन बनाए रखने में विफल रहा और खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (संक्षेप में 'एनपीए') घोषित कर दिया गया। सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 24.06.2024 को नोटिस जारी करने के बाद, और सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत दिनांक 17.04.2024 को नोटिस जारी करने के बाद, सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत कार्यवाही में, गिरवी रखी संपत्ति का कब्जा ले लिया गया। याचिकाकर्ता ने 22.10.2024 को ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) के समक्ष उपाय का लाभ उठाया। अब यह रिट याचिका इस आधार पर दायर की गई है कि डीआरटी के पीठासीन अधिकारी का कार्यकाल समाप्त हो गया है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि बैंक गिरवी रखी संपत्ति की नीलामी करने वाला है। याचिका के साथ ऐसा कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि बैंक संपत्ति की नीलामी करने की कार्यवाही कर रहा है। इस स्तर पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता निर्देशों पर प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता बकाया राशि का भुगतान करने के लिए तैयार है लेकिन बैंक उसे स्वीकार नहीं कर रहा है।
4. यह याचिका केवल इस आशंका पर दायर की गई है कि गिरवी रखी संपत्ति की नीलामी की जा सकती है।
5. यह निवेदन कि याचिकाकर्ता बकाया राशि का भुगतान करने के लिए तैयार है लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 इसे स्वीकार नहीं कर रहा है, एक निराधार कथन है जिसके

समर्थन में कोई दस्तावेज या जरा सा भी साक्ष्य नहीं है जिससे यह पता चले कि याचिकाकर्ता ने बकाया राशि का भुगतान करने के लिए बैंक से संपर्क किया था।

6. नीलामी की कार्यवाही में हस्तक्षेप करने का कोई मामला नहीं बनता है। याचिका खारिज की जाती है।

7. याचिकाकर्ता को राशि का भुगतान करने या बकाया का निपटान करने के लिए बैंक से संपर्क करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है।

(अवनीश झिंगन), न्यायमूर्ति

चंदन / 57

रिपोर्ट करने योग्य: हाँ

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

